श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा(ए)3—3/85—पार्ट—II, दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास तारादेवी जिला शिमला के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखों का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न सचिव मन्दिर न्यास में कार्यरत रहेः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री राजीव के संख्यान	1.1.2013 से 16.5.2013
2	श्री मनजीत शर्मा	16.5.2013 से 31.12.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	मन्दिर न्यास के परिसर में बने विभिन्न पार्कों को सु—व्यवस्थित करने के लिए खरीदे गए ₹2,22,043 के समान से सम्बन्धित अनियमितताएं	10	2.22
2	बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए खरीद करने बारे	14	0.67
3	मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिए आवासों के बिजली के बिलों का भुगतान मन्दिर निधि से करना	15	1.55
4	मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को आबंटित किए गए आवासों की लाईसैंस फीस की वसूली न करना	16	विवरण पैरे में दिया गया है

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा

गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दीर्घकाल से लम्बित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु ठोस प्रयास किए जाऐं। यह प्रकरण आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट–"क"** पर दी गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास, तारादेवी, जिला शिमला के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा दिनांक 17.8.2015 से 19.9.2015 के दौरान मन्दिर परिसर, संकट मोचन तारादेवी मन्दिर शिमला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 5/2013 व 4/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2013 व 10/2014 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलबध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अवधि 1.01.2013 से 31.12.2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹26,000/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा अधियाचना संख्याः ऑडिट 2015–16, दिनांक 20.9.2015 जारी करके मन्दिर अधिकारी, से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही के अनुसार जो Balances दिनांक 1.1.2013 को लिए गए है उनमें जो कमियाँ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012 अथवा इससे पूर्व में अंकेक्षण प्रतिवेदनो में दर्शायी गई थी, उनका समाधान मन्दिर न्यास द्वारा किया गया प्रतीत होता है, जिसके आधार पर श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास की अवधि 1/2013 से

12/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''ख''** पर दिया गया है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2013	1,33,24,915.35	63,64,137.00	8,91,793.47	2,05,80,845.82	1,05,66,156.90	1,00,14,688.92
2014	1,00,14,688.92	65,79,543.50	6,86,724.49	1,72,80,956.91	39,88,863.26	1,32,92,093.65

बचत खातों बैंक तथा सावधि योजना में निवेशित राशि तथा हस्तगत राशि के आधार पर 31.12.2014 को बकाया ₹1,33,98,749.65, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	बैंकों के नाम	राशि
1	Vijay Bank Shimla	28,64,110.00
2	Indus Ind Bank, Shimla	13,22,058.78
3	SBI, Shogi, Shimla	10,78,476.50
4	Union Bank of India, Shimla	2,922.46
5	UCO Bank Shimla	3,512.06
6	Bank of Baroda Shimla	1,810.14
7	HDFC Bank, Sanjauli, Shimla	1,20,759.41
8	FDR's	
	(i) Vijaya Bank, The Mall, Shimla	50,00,000.00
	(ii) Indus Ind Bank, The Mall Shimla	30,00,000.00
9	Cash in Hand	5,000.00
	Total Closing Balance as per Bank	1,33,98,749.65

(ख) रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष तथा बैंक के खातों के अनुसार अन्तशेष में जो अन्तर है, इसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.2014 को अन्तशेष ₹1,32,92,093.65

जमाः– निम्नलिखित चैक जिन्हें भुगतान के लिए जारी किया गया, परन्तु दिनांक 31.12.2014 तक बैंक खातों से भुगतान नहीं हुआः–

चैक संख्या	दिनांक	राशि	
352594	24.12.2014	1,050.00	
352596	24.12.2014	4,598.00	
352597	24.12.2014	3,504.00	
352598	24.12.2014	21,725.00	
352599	24.12.2014	1,337.00	
352600	24.12.2014	30,000.00	
352604	29.12.2014	44,442.00	(+) 1,06,656.00
			1,33,98,749.65

बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाये गए issue चैक में से जिन चैकों को Bank द्वारा Clear नहीं किया गया अथवा वह चैक जिन्हें फर्मों को भुगतान के लिए जारी किया गया था तथा ऐसे चैकों को जारी करने के पश्चात छः माह (6 Month) से अधिक का समय हो गया है, उन चैकों को मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 30.7.2014 को रोकड़ बही के पृष्ठ–84 पर Receipt Side में ले लिया गया।

5 सावधि योजना

(क) श्री संकट मोचन मन्दिर तारादेवी द्वारा अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान समय–समय पर कुछ राशियाँ बैंकों में सावधि योजना के अन्तर्गत जमा की गई है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ग''** में संलग्न है। अतः सावधि योजना में निवेशित राशियों को तय अवधि पर परिपक्व होने पर ब्याज सहित रोकड़वही में लेना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 20.12.2014 को ₹30,00,000/– का निवेश सावधि जमा योजना के तहत एक वर्ष के लिए Indus Ind Bank Shimla में 9% ब्याज पर किया गया है, जबकि इससे पूर्व दिनांक 1.1.2014 को ₹50,00,000/– का निवेश सावधि योजना के अन्तर्गत 9.10% की दर से Vijaya Bank Shimla में किया। यदि मन्दिर न्यास द्वारा ₹30,00,000/– का निवेश भी 9.10% की दर से किया जाता तो उक्त निवेशित राशि पर लगभग ₹3000/– का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त हो सकता था। अतः राशि को कम ब्याज दर पर निवेश करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

6 सोना एवं चांदी

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार सोने/चांदी की प्राप्ति की गई :–

क्र0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	विवरण	सोना (ग्राम में)		चांदी (ग्राम में)	
			ग्रा0	मि0 ग्रा0	ग्रा0	मि0 ग्रा0
1	17/14-5-2013	Gold Chhtra	5	520	-	-
2	25/12-6-2013	Small Gada	-	-	17	500
3	26/25-6-2013	Two Small Kangn with Black Moties	-	-	12	220
4	27/13-7-2013	Small gold Chhtra	0	750	-	-
5	28/20-7-2013	Silver Kara	-	-	7	700
6	29/31-7-2013	Small Chhtra	-	-	7	300

7	30/317-2013	Small Chhtra	-	-	4	400
8	31/11-8-13	Gold Chhtra	5	270	-	-
9	32/12-9-2013	Haar	-	-	79	650
10	33/18-10-2013	Two Silver Kangan	-	-	32	000
11	34/27-10-2013	Silver Kara	-	-	37	000
12	35/1-11-2013	Silver Chhtra	-	-	45	360
13	36/3-5-2014	Silver Chhtra	-	-	5	250
14	37/16-12-2014	Silver Gada	-	-	48	700
			11	540	297	080

इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्याः 18 से 24 को रद्द किया गया दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित रसीद बुक में की गई।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सोने एवं चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** में भी दिया गया हैः–

सोना	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0
Opening Balance on 1-1-2013	–	89	870
Received Gold during the year	–	11	540
Total on 31-12-2014	–	101	410
चांदी		ग्रा0	मि0ग्रा0
Opening Balance on 1-1-2013	10	891	000
Received donated Gold during the year	–	297	080
Total on 31-12-2014	11	188	080

अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 12–ए(2)–ए में वर्णित स्कीमों के अनुसार धार्मिक संस्था में प्राप्त होने वाले सोने तथा चांदी की मात्रा के अन्तशेष को रखा जाए।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद संख्याः 15424, दिनांक 16.6.2014 के अन्तर्गत श्री आशीष मण्डल से मन्दिर पुजारी द्वारा एक चांदी की गद्दा प्राप्त की गई जिसका भार 17.500 ग्रा0 दर्शाया गया था। यह गद्दा सोने, चांदी व अन्य धातुओं के रूप में प्राप्त वस्तुओं से सम्बन्धित रसीद बुक से प्राप्त न करके एक अन्य रसीद बुक जिसको मन्दिर के पुजारी द्वारा दान आदि के प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, उसमें से रसीद जारी करके प्राप्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप इस चांदी की गद्दा को चांदी के स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर अंकेक्षण के दौरान ही इस चांदी की गद्दा की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ 27 पर 18.9.2015 को करवा दी गई है। अतः परार्मश दिया जाता है कि भविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराई जाये तथा में सोने, चांदी व

अन्य धातुओं में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को सम्बन्धित रसीद बुक से ही रसीद जारी करके प्राप्त किया जाए ताकि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में उसकी प्रविष्टियां की जाएं।

7 कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन व भत्तों के बारे में

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को देय वेतन व भत्तों इत्यादि का न्यास की आय पर आनुपातिक विवरण निम्न प्रकार से पाया गया :–

वर्ष	आय	न्यास के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	प्रतिशतता
2013	7266267.99	1223173.00	16.83%
2014	7255930.47	1313984.00	18.11%

उक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास की आय का लगभग 18 प्रतिशत भाग मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय किया जा रहा है। अतः मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय पर आन्तरिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

8 रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त आय की राशि को कम जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों से प्राप्त आय की गलत गणना करने पर ₹303/– को कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

रसीद संख्या/ दिनांक	प्राप्त राशि	जमा की गई राशि	कम जमा राशि
14387 से 14391, 14392 से 14396, 14398 से 14400, 14401 से 14402, 14404 से 14416, 14418 से 14424, 14429 से 14431, 14237 से 14238, 14240 से 14241, 14243 से 14245, 14247 से 14258, 14260 से 14262	6060	5959	101
1191 से 1200, तथा 1401 से 1500	11110	11009	101
		योग	₹202

उक्त कम जमा ₹202/– को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दिनांक 22.9.2015 को सम्बन्धित खातों में अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दिया गया। अतः भविष्य में रसीदों से प्राप्त आय की गणना सही ढंग से करने के उपरान्त ही राशि को सम्बन्धित खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद संख्याः 15402, दिनांक शून्य द्वारा श्री अलोक पठानिया से वाहन की पूजा हेतु ₹101/– प्राप्त किए गए। इस राशि को न तो रोकड़ बही में लिया और न ही बैंक में जमा किया। अंकेक्षण के दौरान इस अनियमितता बारे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को अवगत करवाया गया, परिणामस्वरूप उक्त राशि को दिनांक 7.10.2015 को रोकड़ बही में लेकर बैंक खाते में जमा किया गया। अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जाए।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद संख्याः 15233 से 15243 के अन्तर्गत ₹26,600 की प्राप्त की गई थी, जिसकी प्रविष्टि दिनांक 28.4.2014 को सम्बन्धित रोकड़ बही में अन्य रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों सहित ₹84001 की गई थी तथा उक्त ₹84001 के स्थान पर दिनांक 28.4. 2014 को बैंक में ₹83086/– खाते में जमा की। अतः इस प्रकार बैंक में ₹914/– कम जमा की गई थी जिसे बाद में दिनांक 26.6.2014 को बैंक खाते में जमा करवाया गया। इस प्रकार ₹914/– को लगभग दो माह बाद बैंक में जमा किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और भविष्य में प्राप्त राशियों को नियमानुसार दिन–प्रतिदिन के आधार पर बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 मन्दिर न्यास द्वारा बजट तैयार करके स्वीकृत न करवाने बारे

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment Act, 1984 के Chepter-VI Rule 22 के अनुसार "The Trustee of a Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments shall, before the end of December, in each year, shall submit to such authority and in such form and in such manner as may be prescribed by the Government, a budget showing the probable receipts and disbursements of the Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment during the following financial Year."

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत न्यास का वर्ष 2013 तथा वर्ष 2014 का बजट तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया, जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा बजट को तैयार न करने और स्वीकृत न करवाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य मे बजट को निधारित प्रपत्र पर तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 मन्दिर न्यास के परिसर में बने विभिन्न पार्कों को सु–व्यवस्थित करने के लिए खरीदे गए ₹2,22,043 के समान से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) वाऊचर संख्याः 58, माह 4/2013 द्वारा मैसर्ज Trendy, Industrial Area, Phase-I, Chandigarh को मन्दिर परिसर के पार्क में फाईवर के झूले, पुल, जानवरो की आकृतियों और परिसर में फाईबर के विभिन्न–विभिन्न डिजाईन के कुडादानों की आपूर्ति के एवज़ में ₹2,22,043/– का भुगतान किया गया। उक्त वाऊचर/भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास की दिनांक 19.3.2013 को हुई बैठक के प्रस्ताव संख्याः 3 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार मन्दिर परिसर में बने चिल्ड्रन पार्क को

सु–व्यवस्थित करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में श्री संजीव शर्मा, श्रीमती तृप्ता वर्मा, श्री लक्ष्मी दत्त शर्मा और श्री अशोक कुकरेजा ट्रस्टीयों की कमेटी बनायी गई। उक्त निर्णय के अनुसार कमेटी व्यक्तिगत रूप में चण्डीगढ़ जाकर परिसर में लगाये जाने वाली उक्त सामग्री की खरीद करेगी, जिसके अनुसार व्यक्तिगत तौर पर चण्डीगढ़ में तीन फर्मों की कोटेशने प्राप्त करनी अपेक्षित थी तथा कोटेशनों पर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जाना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 की धारा 98 में भी स्पष्ट है कि यदि खरीद Local Purchase Committee,, बनाकर की जानी है तो कमेटी के सभी सदस्य जिसमें कम से कम तीन सदस्य होने अनिवार्य हैं, बाजार की प्रतिस्पर्धा, Quality तथा दरों का पूर्ण छानबीन करते हुए न्यूनतम दर वाली फर्म को सामग्री का आपूर्ति के आदेश जारी करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्र देंगें।

"Certified that we, the following members of the purchase committee are jointly and individually satisfied that the grade recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question".

परन्तु उक्त खरीद में न तो गठित कमेटी द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया और न ही Quatations पर गठित कमेटी के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर पाए गए अपितु कमेटी के केवल एक ही सदस्य द्वारा निविदाओं के तुलनात्मक ब्यौरे पर हस्ताक्षरों के अनुसार न्यूनतम दर वाली फर्म M/s Trendy Industrial Area, Phase-I, Chandigarh को आपूर्ति आदेश देते हुए ₹2,00,000/– का अग्रिम भुगतान चैकं संख्या 272218, दिनांक 24.3.2013 द्वारा किया गया।

(ख) उक्त के अतिरिक्त श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास की दिनांक 19.3.2013 की हुई बैठक के मद 15 में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी सामान जिसकी लागत ₹10,000/– तक हो उसकी अनुमति सचिव से, यदि लागत ₹50,000/– तक हो तो उसकी अनुमति अध्यक्ष महोदय से तथा यदि लागत ₹1,00,000/– तक हो तो आयुक्त मन्दिर न्यास से लेनी अनिवार्य है तथा जिस भी न्यासी सदस्य/क्रय समिति द्वारा सामग्री को खरीदा जायेगा उनके द्वारा बिल का सत्यापन करना होगा तत्पश्चात ही बिल का भुगतान होगा, जबकि उक्त राशि के भुगतान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करके अध्यक्ष मन्दिर न्यास से प्राप्त कर कर दी गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस खरीद हेतु कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) इसके अतिरिक्त उक्त खरीदे गए सामान की प्रविष्टि न्यास के सम्पति रजिस्टर मे करके आगामी अंकेक्षण के दौरान इसका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मन्दिर परिसर मे निर्माण कार्यों को हिमाचल प्रदेश लोक निमार्ण विभाग (पब्लिक वर्कस डिपार्टमैण्ट) के नियमानुसार न करवाना

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के चैप्टर 5 के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्कस डिपार्टमैन्ट) के अनुसार निर्माण कार्य/मुरम्मत के कार्य को हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस डिपार्टमैन्ट द्वारा बनाये नियमों के अनुसार करवाना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले निर्माण/मुरम्मत के कार्य का अनुमान पत्र, नक्शा (Design) इत्यादि बनाकर उसकी तकनीकी तौर पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसके उपरान्त उस कार्य पर होने वाले व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जानी अनिवार्य होती है। तत्पश्चात् तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर उस कार्य की DNIT Approve करवायी जानी आवश्यक होती है और उसके पश्चात उस निर्माण/मुरम्मत कार्य के Tender आमन्त्रित करने के लिए लोकल समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना अपेक्षित होता है तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर टैण्डर आमंत्रित के लिए नोटिस लगाया जाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के उपरान्त टैण्डर प्राप्त होने पर उनका तुलनात्मक ब्यौरा तैयार करके कार्य की जस्टीफिकेशन तैयार करके न्यूनतम दर वाले संविदाकार को निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत करने हेतु उस कार्य का आबंटन किया जाता है। मन्दिर न्यास के माह 10/2014 के व्यय के वाऊचरों के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर परिसर में निम्नलिखित मुरम्मत के कार्य करवाये गए।

Detail of works	Vr. No./ Month	Amount
Providing Toilet & laying of sewrage pipeline in Pt. Sh. Karthivasan's residence in Sankat Mochan Mandir	Vr.No. 175, Month 10/2014	39,798
P/L Kota Stone red Stone & M.S. flat Clamps in Sh. Sankat Mochan Mandir	Vr.No. 206, 10/2014	28,300
Painting & Distempering in Merriage & Bhandra Hall Sh. Sankat Mochan Mandir	Vr. No. 206, 10/2014	36,740

उक्त मुरम्मत के कार्य हेतु मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित फर्मों को, जिने द्वारा सामग्री दी गई उनके द्वारा ही यह कार्य किया गया तथा उनको इन कार्यों पर होने वाले लेबर के खर्च का भुगतान किया गया। अतः उक्त मुरम्मत के कार्य को वर्कस रूलज़ तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के रूलज़ के अनुसार न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में मुरम्मत/निर्माण का कार्य नियमानुसार करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त "P/L Kota Stone Red Sand Stone & M.S. Flat Clamps & Painting and Destempering in Sh. Sankat Mochan Mandir" के निर्माण कार्य पर उपयोग की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित Stock Register में न करके Misc Register में की गई, जोकि अनियमित था। अतः इस निर्माण/मुरम्मत कार्य पर उपयोग की सामग्री की गई प्रविष्टियाँ सम्बन्धित Stock Register में करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखायी जानी सुनिश्नित की जाये।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के परिसर में 4 नम्बर Peddestle का निर्माण M/s P.K.Verma से करवाया गया और उनके द्वारा दिये सामग्री के बिल की ₹69,680/– तथा Labour Charge के रूप में ₹16,800 का भुगतान वाऊचर संख्याः 59, दिनांक 8.9.2013 के अन्तर्गत चैक संख्याः 272167 द्वारा किया गया। इस कार्य को करवाने के लिए नियमानुसार अनुमान पत्र बनाकर उसे तकनीकी तौर पर तथा प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत करवाकर टैण्डर आमंत्रित करने की प्रक्रिया करते हुए तथा इस निर्माण कार्य की Justification तैयार करके Lowest दर वाले संविदाकार को एक तय सीमा पर करने के आदेश जारी करने थे, ताकि इस निर्माण कार्य को नियमानुसार प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत करवाया जाता, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा works rules की अनुपालना न करते हुए ठेकेदार को कार्य का आबंटन किया गया, जोकि नियमों की सरासर अवहेलना है। अतः 4 नम्बर Peddestal का निर्माण का कार्य बिना औपचारिक्ताएं पूर्ण करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों को नियमानुसार H.P. work rule के अनुसार हि0 प्र0 लोकनिर्माण विभाग से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 भगवान की मूर्तियाँ "Statutes with Sticker" तथा "Wooden Momentoes" की खरीद के बारे में :–

(i) वाऊचर संख्याः 187, ₹3675, माह 10/2014

(ii) वाऊचर संख्याः 188, ₹5017, माह 10/2014

उक्त वाऊचरों द्वारा M/s Happy Bros, Shimla तथा City Sales Shimla को क्रमशः ₹3,675/– तथा ₹5,017/– का भुगतान भगवान की मूर्तियां, Statues with Stickers तथा 8 नम्बर Wooden Momentos की खरीद हेतु किया गया। इन वाऊचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 27.9.2014 को M/s Happy Bros, Shimla से उनके बिल संख्याः 3650, दिनांक 27.9.2014 के अन्तर्गत खरीदे गए भगवान के Statures and Stickers की संख्या नहीं दर्शायी गई, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि मन्दिर न्यास द्वारा कितने भगवान के Statures की खरीद के सन्दर्भ में भुगतान किया गया था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा भगवान की कितने

Statures एवं Stickers के लिए भुगतान किया गया, उसके बारे में स्थिति आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त उक्त वाऊचरों के अतिरिक्त खरीद किए 6 नम्बर Momentos and God Stakers or Stickers किन–किन को वितरित किए गए, उसे नहीं दर्शाया गया, जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाये।

13 नवरात्रों के उत्सव में किए गए ₹1,42,987 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा नवरात्रों के उत्सव के लिए वाऊचर संख्याः 65, माह 4/2013 के माध्यम से विभिन्न–विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन Temporary Advance से ₹1,42,987/– खर्च किए गए। इस खर्च की जाँच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई।

(क) मन्दिर न्यास के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिनांक 8.4.2013 को टैक्सी संख्याः HP-63-01352 का उपयोग शिमला से श्री संकट मोचन मन्दिर के लिए किया गया और इसके एवज़ में ₹300/– का भुगतान किया, टैक्सी वाहन का उपयोग संस्था द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार बिना उद्देश्य का उल्लेख किया वाहन का प्रयोग करने पर किए व्यय को उचित नही ठहराया जा सकता है तथा वाहन के उपयोग/उद्देश्य को स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹300/– की भरपाई उचित स्त्रोत से करके संस्था कोष में जमा की जाए और अनुपाना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मंदिर न्यास के उपरोक्त वाउचर में संलग्न बिलों में निम्नलिखित कमियां पाई गई जिनका समाधान सुनिश्चित करते हुए अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए:–

क्र0 सं0	फर्म का नाम, बिल सं0/दिनांक	ब्यौरा	राशि	कमियाँ
1	Kalli's Shagun Bangla & Cosmetic, Shimla, C.M. 2803/8-4-2013	West Hankey etc.	630	बिल में संस्था का नाम न दर्शाकर सिर्फ कैश दर्शाया गया है जबकि कैश मैमो में संस्था का नाम दर्शाया जाना अनिवार्य था
2	Rohal General Store Shimla C.M. No. 006/3-4-2013	100 No. Photo Copies of Bhandra list	200	––यथोपरि–
3	New Himachal Diary Shimla C.No. Nil. Dated 11-4-13	1-½ Paneer	190	––यथोपरि––
4	No Mention	4 Bred 2 Butter	142	न ही फर्म का नाम है और न ही संस्था का
5	City Point Shimla, C.M.No. Nil dated 13-4-13	3 Juices	293	बिल में संस्था का नाम नहीं है।

6	Nathu Ram Lachman Dass, Shimla. C.M.No. Nil dated 14-4-13	Sweets	18000	बिल को साधारण कागज़ पर बिना संस्था के नाम के साथ बनया गया है।
7	बिल किस फर्म का है नहीं दर्शाया गया, दिनांक 13.4.13	Flex Banner Taxi Charge Screws and Towel	800	इसको साधारण कागज़ पर बनवा कर स्वयं कर्मचारी द्वारा दिया गया, जोकि अनियमित है।
8	–यथोपरि––	फलों की खरीद	465	––यथोपरि––
9	M/s New Himachal Dairy Shimla Himachal, C.M.No. Nil dated 16-9-13	1 Kg Paneer	180	बिल पर सामग्री किस संस्था द्वारा सप्लाई की गई उसको नहीं दर्शाया गया है।
10	M/s Bhagra Steel Sales (P) Ltd. C.M.No. नहीं दिया दिनांक 14.4.13	1 Karandi	385	बिल पर न तो कम्पनी का नाम है और न ही संस्था का
11	–	Labour Charge	500	रसीद में केवल ₹500 प्राप्त किए गए दर्शाये हैं तथा जिसने प्राप्त किए उसके हस्ताक्षर हैं परन्तु उसमें विवरण नहीं है।

(ग) उक्त वाऊचर में संलग्न बिलों में श्री संकट मोचन मन्दिर में चैत्र नवरात्रों में 9 दिन रामायण नवाह परायण, रामकथा व भजन कीर्तन आदि का आयोजन करने हेतु दिनांक 19.4.2013 को ₹68,600/– का भुगतान श्री खेम चन्द शर्मा, ब्यास जी तथा अन्य सभी कलाकारों को किया गया। इस बिल की जाँच करने पर पाया गया कि कलाकार श्री पारूल शर्मा को ₹6600 का भुगतान किया गया था, जबकि इस कलाकार से प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए। अतः उक्त भुगतान की गई राशि के एवज़ में प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा श्री पारूल शर्मा से हस्ताक्षर करवाकर आगामी अंकेक्षण के दौरान इसकी पुष्टि करवाई जाए।

(घ) इसके अतिरिक्त उक्त बिलों/वाऊचरों के अन्तर्गत ₹2100/– का भुगतान दिनांक 19.4.2014 दिया गया जबकि रसीद में 19.4.2012 लिखा है। इसके अतिरिक्त यह भुगतान Dhol Nagara Party को किया गया, जबकि उनको नवरात्रों में किस अनुबन्ध अथवा किस कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत तैनात किया, उससे सम्बन्धित कोई अभिलेख साथ संलग्न नहीं थे तथा इसके साथ–साथ रसीद में केवल प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर हैं, जोकि एक साधारण कागज पर बनाई गई जबकि नियमानुसार इन पर प्राप्तकर्त्ताओं के Address भी दिए जाने थे तथा रसीदों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी करवाया जाना वांछित था। अतः उक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए और इन कमियों को पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ड़) मंदिर न्यास द्वारा M/s Renovatior, S.C.O. 822, NAC Manimajra, Kalka Road, Chandigarh. को उनके Job Work No. 1344 dated शून्य के एवज़ ₹12,400 का भुगतान 28 No. Mamtoes Printing Polish & Fitting के लिए किया, जिसमें से ₹5500/– का भुगतान दिनांक 31.3.2013 को चैक संख्याः 272247 द्वारा राशि आहरित करके किया गया तथा ₹6900 का भुगतान दिनांक 7.4.2013 को अस्थाई अग्रधन से किया गया। अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि फर्म द्वारा उक्त Job Work के अन्तर्गत केवल ₹6900/– का ही कार्य किया गया, जबकि उनको ₹12,400/– (₹5500 + ₹6900) का भुगतान किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा ₹5500/– का अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(च) मंदिर न्यास द्वारा M/s Renovator, SCO-822] NAC Manimajra, Chandigarh से उनके बिल संख्याः 6659, दिनांक 7.4.2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री की खरीद की गईः–

क्र0 सं0	खरीद का ब्यौरा	संख्या	दर	कुल राशि
1	Mementoes	20 नं0	300	6000
2	Frame Large Size	1 नं0	1700	1700
3	Frame Medium Size	3 नं0	800	2400
4	Frame Small Size	4 नं0	500	2000
			कुल राशि	12,100
			वैट	1,512
			कुल भुगतान	13,612

अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास की दिनांक 19.3.2013 को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्याः 14 में पारित किया गया कि उक्त खरीद सचिव के नेतृत्व में गठित की गई समिति द्वारा की जाये, परन्तु संस्था द्वारा उक्त खरीद हेतु गठित समिति तथा औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जो सामग्री खरीदी गई वह Consumable स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–162 पर बिना वितरण के बकाया में है। अतः बिना किसी उद्देश्य के इस सामग्री की खरीद करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

14 बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए ₹67,207/– की खरीद करने बारे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 97 के अन्तर्गत ₹3,000/– की खरीद बिना कोटेर्शन आमन्त्रित किए की जा सकती है बशर्तें पूरे वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की खरीद

₹50000 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त नियम 98 के अनुसार ₹3,000/– से अधिक तथा ₹1,00,000/– तक की खरीद तीन सदस्यों की स्थानीय खरीद कमेटी की संस्तुति (recommendation) के आधार पर किए जाने का प्रावधान है, जबकि श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास द्वारा माह 10/2014 में समय–समय पर ₹3,000/– से अधिक सामग्री की खरीद कमेटी की संस्तुति (recommendation) के बिना की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

फर्म का नाम, बिल संख्या/दिनांक	सामग्री का ब्यौरा	वा0 सं0	माह	राशि
M/s Happy Bros The Mall Shimla CM. No. 3650, dt. 27-9-14	God Statues Stickers	187	10/2014	3,675
City Sales The Mall, Shimla C.M No. 8142 dt. 27-9-2014	Memento woodem	188	10/2014	5,017
M/s Jolhi Bros. Kachi Ghati, Shimla Bill no. 19158 dt. 29-9-14, Bill no. 19163 dt 29-9-14	Paint Material	178	10/2014	3,894 4,191
M/S Latawa furnishers. SDA Complex Shimla-09 Bill NO. 19743, dt. 26-9-2014	PVC Flooring & Bed Sheets	181	10/2014	14,323
Ashirwad xclusif Lower Bazar Shimla C.M. No. 1389 dt. 26-9-2014	Cloths	183	10/2014	8,112
Sh. Tak Singh C.M. No. Nil dt. 30-9-2014	170 ft. sand	189	10/2014	7,000
M/s Bhagra Steel Sales (P) Ltd. Tara Devi Shimla, Invoice No. 2014-15/04957 dt 1-10-14 Invoice No. 2014-15/05017 dt. 3-10-14	Rassa Do Do	194	10/2014	5216 2539 7,775
M/s Shimla Art Service Shimla C.M.No. 139 dt. 14-10-14	Writing the Name of Ganpati & Dispencery etc.	208	10/2014	13,240
		Total		₹67,207

अतः माह 10/2014 में समय–समय पर सामग्री की खरीद हिमाचल प्रदेश नियमावली, 2009 मे दिए नियमों के अनुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सामग्री इत्यादि खरीद पर हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 में दिए नियमों के अनुसार ही मन्दिर न्यास निधि से व्यय

किया जाए। इसके अतिरिक्त चयनित माह 10/2014 के अलावा अन्य मासों में इस तरह के किए गए भुगतान की जाँच न्यास स्तर पर करके तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

14 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल की ₹2,213 का अधिक भुगतान करने बारे

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास की बैठक दिनांक 19.3.2013 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्याः 9 में लिए निर्णय के अनुसार श्री राजेन्द्र कौशल, मैनेजर को वाऊचर संख्याः 72, माह 4/2013 द्वारा ₹26,859/– के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किया गया। प्रार्थी के चिकित्सा बिल की जाँच करने पर पाया कि प्रार्थी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल में ₹2,213 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

जितनी राशि का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल जमा किया	26,859.95
जबकि संलग्न बिलों के अनुसार कुल भुगतान जो बनता था	24,647.00
अधिक भुगतान	**2,212.95**
अर्थात	**₹2,213.00**

अतः इस सन्दर्भ में न्यास स्तर पर जाँच करके अधिक किए गए भुगतान की ₹2,213 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाई जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण से इसकी पुष्टि करवाई जाये।

15 मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिए आवासों के बिजली के बिलों ₹1,55,220/–का भुगतान मन्दिर निधि से करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को दिए आवासों में लगे बिजली के मीटरों के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा न करके यह भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर निधि से किया जा रहा है, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट–''च''** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के आवासों पर लगे मीटरों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का अवधि 7.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान ₹1,55,220/– का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों से इन बिजली के बिलों की ₹1,55,220 की वसूली शीघ्र करके मन्दिर न्यास निधि में की जाए और भविष्य में इस प्रकार के भुगतान पर अंकुश लगाया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 मन्दिर न्सास के कर्मचारियों को आबंटित किए गए आवासों की लाईसैंस फीस की वसूली न करने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट–"ड़"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि जिन कर्मचारियों को न्यास द्वारा परिसर में आवास दिए गए हैं, उनके वेतन से अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लाईसैंस फीस की कटौती नहीं की जा रही है, जबकि इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012 के पैरा 11 में आपत्ति उठाई गई थी। अतः कर्मचारियों से लाईसैंस फीस की वसूली न करना, नियमों की सरासर अवहेलना है। इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0–7(जी)–1–12/81, दिनांक 26.10.1999 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को बिना किराये का आवास (Rent Fee Accomodation) न दी जाए। इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को बिना लाईसैंस फीस की वसूली के आवास का आबंटन एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में पुनः सुझाव दिया जाता है कि जिन कर्मचारियों को न्यास द्वारा आवास आबंटित किए गए हैं उनके वेतन से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लाईसैंस फीस की वसूली शीघ्र की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 विविध

मन्दिर न्यास के लेखों के अंकेक्षण के दौरान माह 10/2014 के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि इनके साथ संलग्न बिलों में भुगतान करने से सम्बन्धित स्पष्ट विवरण नहीं दिए गए तथा कुछ एक बिलों में निम्नविवरणानुसार कमियाँ पाई गई, जिसका समाधान करके इनकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवायी जानी सुनिश्चित की जाएः–

फर्म का नाम/ बिल सं0/दिनांक	ब्यौरा	वा0 सं0	माह/ दिनांक	राशि	टिप्पणी
Kalka Shimla Himachal Taxi Operator Stand Shimla No. 3125, dt. 28-8-14	Shimla to Sankat Mochan Mandir Taradavi Shimla	174	10/2014	200.00	उक्त टैक्सी का उपयोग 28.8.2014 को रसीद अनुसार Vinyak Chaturthi का महोत्सव मनाने के लिए सामान की ढुलाई के लिए किया गया, जबकि वा0 में संलग्न बिलों के अनुसार इस दिन मन्दिर में कोई सामान नहीं लाया गया।

Sh. Rajesh, dt. 2-9-2014	Repair of Electricity	174	10/2014		श्री संगरा को बिजली की मुरम्मत के कार्य के लिए भुगतान किया गया, परन्तु मन्दिर में किस स्थान पर मुरम्मत की नहीं दर्शाई गई थी
Sh. D. Sharma dt. 22-9-2014	Refair of Electricity	174	10/2014	1400	——यथोपरि——
M/s A.K. Genral Store, Cart Road Shimla C.M.No. 4354, dt. 20-9-14	Juice & Dry fruits etc	180	10/2014	1974	कैश मैमों में नगद दर्शाया गया और मन्दिर न्यास का नाम नहीं दर्शाया गया है जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि खरीद मन्दिर न्यास द्वारा ही की गई और यह सामग्री किस उद्देश्य के लिए खरीदी गई उसे भी स्पष्ट नहीं किया गया।
Sh. Tek Singh C.M. Not attached	170ft. sand	189	10/2014	7000	उक्त भुगतान 170 फुट रेत के एवज़ में श्री टेक सिंह को किया गया। रेत आपूर्ति से सम्बन्धित बिल न लेकर सीधे भुगतान की रसीद प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त इस सामग्री की प्रविष्टि Consumable Stock Register में की गई जबकि इसकी प्रविष्टि Material Register/ Constr. A/C Register में की जानी अपेक्षित थी क्योंकि इस रेत का उपयोग दशहरा के महोत्सव के पश्चात् अन्य Constr. Work के लिए हो सकता है अतः स्थिति स्पष्ट की जाए
M/s Narayan Glass & Plywood House, Cart	Puti etc	202	10/2014	678	इस कैश मैमों में संस्था का नाम नहीं है और जो सामग्री ली गई, वह भी कैश मैमों में स्पष्ट नहीं

Road Shimla					है, जिसके फलस्वरूप इसकी प्रविष्टि की जाँच नहीं हो सकी।
Three Star Taxi Union Main Bus Stand, Shimla Receipt No. 1090, 1091, dt. 26-9-14, 5-9-14	Used by Chairman	202	10/2014	1350	टैक्सी का उपयोग चेयरमैन मन्दिर न्यास द्वारा बस स्टैण्ड से खलीनी से घनाहटी से देव नगर और वापिस संकट मोचन मन्दिर के लिए दिनांक 5.9.14 तथा 26.9.14 को संकट मोचन मन्दिर से विकास नगर वापिस संकट मोचन किया। टैक्सी के उपयोग का उद्देश्य नहीं बताया गया तथा रसीद सं0 1090 दिनांक 4.9.14 को प्राप्त की गई और रसीद सं0 1091 दिनांक 5.9.14 को प्राप्त की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा टैक्सी के उपयोग पर हुई खर्च ₹1350 की वसूली की जाए।

18 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

श्री संकट मोचन मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान न्यास द्वारा वस्तुओं/सामग्री का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया, जिस कारण स्टॉक रजिस्टर में अंकित सामान की वास्तव में होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्नित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपत्ति विवरणिका :— लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्ष :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्या :—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)261/08—खण्ड—1—1147—50, दिनांक 15.02.2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत :—1. मन्दिर अधिकारी श्री संकट मोचन न्यास तारा देवी, शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री संकट मोचन, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

3. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171009

4. अवर सचिव (एल0ए0सी0), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट–"क"

पैरा 1(घ) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 17.8.2004 से 31.12.2009

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत अनिर्णीत	टिप्पणी
1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	(दिये गए उत्तर एवं अभिलेख के आधार पर पैरा निर्णीत)
3	पैरा 8(ख)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
4	पैरा 8(ग)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
5	पैरा 8(ड़)(i)	निर्णीत	(प्रस्ताव सं0 9 बैठक दिनांक 8.2.2009 में लिए गए निर्णय तथा स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत)
6	पैरा 8(ड़)(ii)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर पैरा निर्णीत)
7	पैरा 9(i)	अनिर्णीत	
8	पैरा 9(ii)(क)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर सटिप्पण उतर की प्रति साथ संलग्न है)
9	पैरा 9(ii)(ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(घ)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर सटिप्पण उतर की प्रति साथ संलग्न है)
11	पैरा 9(छ)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर सटिप्पण उतर की प्रति साथ संलग्न है)
12	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
14	पैरा 13	अनिर्णीत	
15	पैरा 14	अनिर्णीत	
16	पैरा 15(1)(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 15(2)	अनिर्णीत	

19	पैरा 16	अनिर्णीत	
20.	पैरा 17(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 18(1)(क)	अनिर्णीत	
23	पैरा 18(1)(ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा 18(2)(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 18(2)(ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा 18(2)(ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा 18(3)(क)	अनिर्णीत	
28	पैरा 18(3)(ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 18(3)(ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा 19	अनिर्णीत	
31	पैरा 20(क)	निर्णीत	(सटिप्पण उतर के आधार पर पैरा निर्णीत)
32	पैरा 20(ख)	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
33	पैरा 21(क)	निर्णीत	(बोर्ड तथा पटिका की प्रविष्टि Non Consumable Stock Register पृष्ठ–140 में सत्यापना उपरान्त पैरा निर्णीत)
34	पैरा 21(ख)	निर्णीत	(₹313/– की वसूली रसीद सं0 16381 दिनांक 19.9.15 द्वारा की गई अतः पैरा निर्णीत)
35	पैरा 24	निर्णीत	(₹2000 की वसूली रसीद सं0 16374 दिनांक 18.9.2015 को की गई)
36	पैरा 25	निर्णीत	(₹500/– की वसूली रसीद सं0 16375 दिनांक 18.9.2015 को की गई)
37	पैरा 27	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 93 में प्रविष्टियों के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
38	पैरा 28	निर्णीत	(₹1400/– की वसूली रसीद सं0 16377, दिनांक 18.9.2015 से की गई)
39	पैरा 29	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर निर्णीत)

40	पैरा 30	निर्णीत	(₹140/–की वसूली रसीद सं0 163717, दिनांक 18.9.15 से की गई)
41	पैरा 31	निर्णीत	(₹200/– की वसूली रसीद सं0 16378, दिनांक 18.9.15 से की गई)
42	पैरा 32	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
43	पैरा 33(क)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर बिलों पर दुकानदार से विवरण ले लिया गया अतः पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
44	पैरा 33(ख)	निर्णीत	(दिए गए सटिप्पण उतर के आधार पर)
45	पैरा 34	निर्णीत	(हस्ताक्षरों के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
46	पैरा 35	अनिर्णीत	
47	पैरा 36	अनिर्णीत	
48	पैरा 37	निर्णीत	(दिए गए उतर के अनुसार पैरा निर्णीत)
49	पैरा 38(क)	निर्णीत	(रोकड बही में प्रविष्टियों के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
50	पैरा 38(ख)	निर्णीत	(राशि ₹8/– की वसूली रसीद सं0 16380, दिनांक 19.9.15 द्वारा की गई)
51	पैरा 38(ग)	निर्णीत	(रोकड़ बही में प्रविष्टियों को पक्का (पैन) द्वारा कर दी गई)
52	पैरा 38(घ)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010

1	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(रोकड़ बही के पृष्ठ 271, दिनांक 21.7.11 को ₹19,034/– जो 1.4.10 को अधिक्य में दर्शाये गए थे को दुरूस्त कर दिया गया जिसकी जाँच उपरान्त पैरा निर्णीत)
2	पैरा 4(ग)	निर्णीत	(वर्ष 2012 में अधिक्य के रूप में बची शेष राशि में ₹70,00,000 को सावधि योजना में निवेश किया से सम्बन्धित अभिलेख उपरान्त पैरा निर्णीत)
3	पैरा 5	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए उतर/स्पष्टीकरण के आधार पर पैरा निर्णीत)
4	पैरा 6(क)	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए उतर/स्पष्टीकरण के आधार पर पैरा

			निर्णीत)
5	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए उतर के आधार पर पैरा निर्णीत)
8	पैरा 10	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिए गए उतर के आधार पर पैरा निर्णीत)
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13	अनिर्णीत	
11	पैरा 15	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2011 से 31.12.2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क Indus Ind Bank के चैक सं0 397986, दिनांक 5.6.13 जमा किया जा चुका है।)
2	पैरा 4(i)(ii)(iii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–4 में अंकित की गई)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में दर्शायी गई है)
4	पैरा 6(i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6(i)में दर्शाई गई है)
5	पैरा 6(ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6(ii)में दर्शाई गई है)
6	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	अनिर्णीत	
8	पैरा 8	निर्णीत	(कम जमा ₹401 को अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दिया गया था)
9	पैरा 9	निर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	अनिर्णीत	
12	पैरा 12	अनिर्णीत	
13	पैरा 13	अनिर्णीत	

14	पैरा 14	अनिर्णीत
15	पैरा 15	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	78
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	+16
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	-40
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2013 से 12/2014 तक अनिर्णीत पैरे	54